सोशल मीडिया पत्र संख्याः- 06/प्रेसनोट/2021

सेल

जनपद

आजमगढ़

दिसम्बर - 02 जनवरी 2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> थाना तहबरप्र

एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध शस्त्र बनाने के छोटे – बडे उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रमीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 01/01/2021 को SHO देवानन्द, व0उ0नि0 बसन्तलाल मय हमराह के थाना स्थानीय से खाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध, व्यक्ति संदिग्ध वाहन में तहबरपुर तिराहे पर मामुर थे कि उसी समय जरिये मुखबिर खास सुचना प्राप्त हुई कि ग्राम खुटिया मे शातिर असलहा तस्कर एवं अवैध असलहा निर्माता लालधारी S/O हरगुन निवासी ग्राम खुटिया थाना तहबरपुर आजमगढ़ अपने घर के पीछे दक्षिण तरफ बने शौचालय के पीछे बांस की कोठी के पास इस समय अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहा है। इस सुचना पर विश्वास करके मय हमराह वरिष्ठ उपनिरीक्षक व कर्मचारीगण को मुखबिर की सुचना से अवगत कराते हुए तत्काल ग्राम खुटिया हरिजन बस्ती के पास पहुचकर गाड़ी खड़ी करके पैदल ही मुखबिर को साथ लेकर लालधारी के शौचालय के पास पहुँचे कि मुखबिर इशारा करके वापस चला गया। शौचालय के पास से देखा गया तो एक व्यक्ति भट्टी जलाकर शस्त्र का निर्माण कर रहा है। नजदीक पहुचकर उसे टोकते हुए पकड़ने की कोशिश की गई तो मौके से उठकर भागने लगा कि 10-15 कदम की दुरी पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम <u>लालधारी पुत्र हरगुन ग्राम</u> खुटिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी ली गयी एक अदद तमंचा 315 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर तथा जल रही भट्टी के पास एक अदद अर्द्ध निर्मित तमंचा 315 बोर एक अदद लोहे की नाल , एक लोहे की चद्दर लम्बाई 1.1/2 फूट तथा चौड़ाई 1 फूट एक अदद लोहे की रेती, एक अदद सणसी , दो अदद रिंच, एक अदद रिंच छोटी, एक अदद लोहे की पाईप करीब सात अंगुल, दो अदद पत्ती लोहे की , एक अदद फुकनी, एक अदद निहाई लोहे की, एक अदद पंखी , एक अदद हथौड़ी, एक अदद सरिया करीब दो फुट, दो अदद लोहा वोर बनाने हेतु व स्क्रु चार अदद हैन्डिल पंखी एक अदद, एक कील लोहे की मुड़ी हुई मौके से बरामद हुआ। अभियुक्त से अवैध शस्त्र रखने तथा निर्माण के बारे में पुछा गया तो बताया कि साहब यही मेरा रोजी रोटी का जरिया है। काफी पहले से यह कार्य करते चला आ रहा हूँ। कई बार जेल जा चुका हुँ। लुक छिपकर अवैध शस्त्र का निर्माण करके आसपास के गांवो मे बेचकर अपना जीवन यापन करता हुँ। अभियुक्त का यह कृत अन्तर्गत धारा 3/5/25 A. Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 15.10 बजे बाजाप्ता बकायदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-01/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लालधारी S/O हरगुन निवासी ग्राम खुटिया थाना तहबरपुर, आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध शस्त्र बनाने के छोटे – बडे उपकरण उपरोक्त

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

मु0अ0सं0- 01/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्टथाना तहबरपुर आजमगढ़

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

- 1. मु0अ0सं0 118/16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 2. मु0अ0सं0 35/18 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 3. मु0अ0सं0 1/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 4. मु0अ0सं0 103/2001 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 5. मु0अ0सं0 ७/२००२ धारा २५/३० आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 6. मु0अ0सं0 65/99 धारा 25/30 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
- 7. मु0अ0सं0 130/05 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ
- 8. मु0अ0सं0 38/05 धारा 307 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ
- 9. मु0अ0सं0 39/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

- 1. प्र0नि0 देवानन्द

- व0उ0नि0 बसन्त लाल
 का0 विनोद गुप्ता
 का0 समीर कुमार सिंह
 चालक हे0का0 रामनाथ सिंह